बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–डी०डी०–1–विविध–13 / 2019–20 पटना, दिनांक–..................

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमण्डल,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– राज्य के काराओं में फायर हाईड्रेंट (Fire Hydrant) के अधिष्ठापन के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव गृह विभाग (कारा) बिहार, पटना का पत्रांक–5644, दिनांक–04.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से गृह (कारा) विभाग द्वारा राज्य की काराओं में अग्नि कांड के दौरान आग को बुझाने हेतु पानी की आपूर्ती के लिए Fire Hydrant के अधिष्ठापन कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

निदेश है कि काराओं में Fire Hydrant के अधिष्ठापन हेतु स्थल निरीक्षण कर शीघ्र प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5683 (भ०नि०) दिनांक– 13/7/23

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/7/23
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

12/7/23

DMC-02

पत्रांक....कारा / भवन–13 / 2023............5649

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

प्रेषक,

सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ...6.../...7.../...23...

विषयः–राज्य के काराओं में फायर हाईड्रेंट (Fire Hydrant) के अधिष्ठापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–21.02.2023 को कारा निरीक्षणालय एवं राज्य की काराओं में Innovation कार्य से संबंधित गठित नवाचार कोषांग (Innovation Cell) की बैठक की कार्यवाही में कोषांग द्वारा अनुशंसा की गयी है कि राज्य की काराओं में अग्नि कांड के दौरान आग को बुझाने हेतु पानी की आपूर्ति के लिए Fire Hydrant के अधिष्ठापन कराया जाना अतिआवश्यक है।

2. अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य की काराओं में अग्नि कांड के दौरान आग को बुझाने हेतु पानी की आपूर्ति के लिए Fire Hydrant के अधिष्ठापन कराये जाने हेतु सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश देने की कृपा की जाय कि इस कार्य हेतु शीघ्र प्राक्कलन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

28/6/2023

सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग
1524
6/7/23